उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल

कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी

और

न्यायाधीश श्री विवेक भारती शर्मा

रिट याचिका (एस/बी) संख्या 45 सन 2022

06 दिसंबर, 2023

अनुराधा सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के लिए वकील : श्री जितेंद्र चौधरी, विद्वान अधिवक्ता

राज्य के लिए वकील : श्री जे. सी. पांडे, राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील।

प्रत्यर्थी सं. 2 के लिए वकील : श्री बी. डी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री तुषार उपाध्याय, सहायक

प्रत्यर्थी सं. 4 और 5 के लिए परामर्श : डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता

साथ में

रिट याचिका (एस/बी) NO.44 सन 2022

सरिता कुमार ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के लिए वकील : श्री जितेंद्र चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।

राज्य के लिए वकील : श्री जे. सी. पांडे, राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील।

प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 के लिए पराम : डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, विद्वान अधिवक्ताकार।

प्रत्यर्थी संख्या 6 के लिए वकील : श्री सुशील कुमार, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय: (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार)

चूँकि इन याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनकी सुनवाई और निर्णय एक साथ किया जा रहा है। हालांकि संक्षिप्तता के लिए, अकेले रिट याचिका (एस/बी) संख्या 44 सन 2022 के तथ्यों पर विचार और चर्चा की जा रही है।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित ठोस राहतों के लिए अनुरोध किया हैः-

i. सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, मूल रिकॉर्ड की मांग करें और प्रत्यर्थी सं. 2 यानी डॉ. रेखा खरे कार्यवाहक प्राचार्य एमकेपी (पीजी) कॉलेज देहरादून जिला देहरादून द्वारा जारी कि गई संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 10.08.2020 (अनुलग्नक संख्या 6) के साथ साथ दिनांक 10.08.2020 के विवादित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की कृपा करें और पुरानी लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता सूची को बहाल करें जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 6. से वरिष्ठ दिखाया गया था।

ii.प्रत्यर्थी को इस आशय का निर्देश देने और परमादेश देने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट, परमादेश या निर्देश जारी करें कि वे 2020 की संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करेंगे जिसमें याचिकाकर्ता को निजी प्रत्यर्थी सं. 6. से वरिष्ठ है।

3. याचिकाकर्ता को एम. के. पी. (पीजी) महाविद्यालय, देहरादून, में वर्ष 1985 तदर्थ आधार पर व्याख्याता नियुक्त किया गया था। । वर्ष 1992 में निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। एमकेपी (पीजी) कॉलेज एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है, जो पहले एक राज्य विश्वविद्यालय, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उक्त विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में तदर्थिवर्तित करने पश्चात संबंधित कॉलेज एच. एन. बी. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2003 में, उपरोक्त कॉलेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 6 से ऊपर रखा गया था। इसके बाद, 2004 में, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 6 के बीच अंतर वरिष्ठता स्थिति को दोहराया गया।याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा 10.08.2020 को जारी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 6 की अंतर वरिष्ठता को उलट दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि 2003 और 2004 में जारी की गई वरिष्ठता सूचियों को प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा अपीलीय/न्यायिक मंच के समक्ष कभी चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य याचिकाकर्ता संख्या 6 की वरिष्ठता स्थिति को बदल नहीं सकते थे। 2020 में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि इसने एम. के. पी. के शिक्षकों के बीच लंबे समय से चली आ रही अंतर-वरिष्ठता स्थिति को अस्थिर कर दिया है, जिसकी अनुमति नहीं है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2003 और 2004 में जारी वरिष्ठता सूची मात्र अस्थायी थी, इसलिए, कार्यवाहक प्राचार्य को 2020 में नई वरिष्ठता सूची जारी करने का अधिकार था । इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विवादित वरिष्ठता सूची में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. दिनांकित 10.08.2020 की विवादित वरिष्ठता सूची के अवलोकन से पता चलता है कि एम. के. पी. के शिक्षकों की अंतर-वरिष्ठता, निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा 07.11.2003 को जारी एक पत्र के अनुसार संशोधित किया गया था।

7. यह विवाद में नहीं है कि 2003 और 2004 में जारी वरिष्ठता सूचियां 2020 तक इस क्षेत्र में थीं, और उपरोक्त कॉलेज में संकाय सदस्यों की पदोन्नति उक्त सूची में शिक्षकों की रैंकिंग के आधार पर की गई थी। इस प्रकार, पहले की वरिष्ठता सूची को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अंतिम माना जाना चाहिए, भले ही ऐसी सूची में "अंतिम" शब्द गायब हो।

8. पार्टियों के वकील स्वीकार करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2, डॉ. रेखा खरे, कार्यवाहक प्राचार्य, जिन्होंने विवादित वरिष्ठता सूची जारी की थी, ने स्वयं 2003 में जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का दावा किया था। इस प्रकार, यह तर्क कि 2003 में जारी सूची मात्र अस्थायी थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. शीबा शंकर महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य, 2010 (12) एस. सी. सी. 471 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लंबे समय से वरिष्ठता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 से 24 यहां दिए गए हैं:

> *18. विलंबित स्तर पर दायर की गई लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता पर विवाद करने वाली याचिका पर विचार करने का प्रश्न अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, रामचंद्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 259 में पदोन्नति और वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में विलम्ब के प्रभाव पर विचार किया और कहा कि विलंबित स्तर पर वरिष्ठता के लिए किसी भी दावे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह वरिष्ठता, पद और पदोन्नति के संबंध में अन्य व्यक्तियों के निहित अधिकारों को बाधित करना चाहता है अन्य मध्यवर्ती अवधि के दौरान उन्हें प्राप्त हुए हैं। एक पक्ष को शिकायत का कारण प्राप्त होने के तुरंत पश्चात न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उक्त मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों पर अवलम्ब किया, विशेष रूप से तिलोकचंद मोतीचंद बनाम एच. बी. मुंशी, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 898 में, जिसमें यह देखा गया है कि जिस सिद्धांत पर अदालत याचिकाकर्ता को देरी या देरी के आधार पर राहत देने से इनकार करती है, वह यह है कि जो अधिकार देरी के कारण दूसरों को प्राप्त हुए हैं। रिट याचिका दाखिल करने में तब तक खलल नहीं डाला जाना चाहिए जब तक कि देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण न हो। न्यायालय ने आगे कहा:-*
>
> > *"मौलिक अधिकारों का दावा करने वाले पक्ष को दूसरों के अधिकारों के अस्तित्व में आने से पहले अदालत का रुख करना चाहिए। अगर अदालत जाने वाले व्यक्ति की ओर से देरी के कारण उनके अधिकार सामने आते हैं तो अदालतों की कार्रवाई निर्दोष पार्टियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है।"*

19. इस न्यायालय ने आर. एन. बोस बनाम भारत संघ अन्य अन्य मामलों में संविधान पीठ के अपने पहले के फैसले पर भी अवलम्ब किया। ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 470, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया हैः

> " प्रत्यर्थी को प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आराम से बैठने और इस बात पर विचार करने का अधिकार होना चाहिए कि बहुत पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति वर्षों की संख्या के पश्चात पराजित नहीं होगी।

20. आर. एस. मकाशी बनाम आई. एम. मेनन अन्य अन्य ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 101, इस न्यायालय ने कर्मचारियों की अंतर वरिष्ठता के संबंध में रिट याचिका दायर करने में सीमा, विलम्ब अन्य कमियों के सभी पहलुओं पर विचार किया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम. भैलाल भाई आदि, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1006, में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया। जिसमें यह कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि जिसके भीतर सिविल न्यायालय में मुकदमा द्वारा राहत दी जानी चाहिए, को आम तौर पर एक उचित मानक माना जा सकता है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार मांगने में विलम्ब को मापा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> " हमें कानून और समानता, न्यायाधीश और अच्छे विवेक के सिद्धान्त के अनुसार न्यायाधीश का प्रशासन करना चाहिए। प्रत्यर्थी को प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर विचार करने का अधिकार होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति और पदोन्नति कई वर्षों के अंतराल के पश्चात निर्धारित नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने 1968 के सरकारी प्रस्ताव में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के विरुद्ध चुनौती के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने में अपनी ओर से अत्यधिक विलम्ब के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हम तदनुसार मानेंगे कि 2 मार्च, 1968 के सरकारी प्रस्ताव में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब और अड़चनों के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था और रिट याचिका, जहां तक यह उक्त सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की प्रार्थना से संबंधित है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

21. वरिष्ठता सूची, अन्य लंबे समय तक अस्तित्व में रही, को चुनौती देने के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा के. आर. मुद्गल और अन्य बनाम मामले में फिर से विचार किया गया। आर. पी. अन्य और अन्य ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 2086 में न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> " एक सरकारी कर्मचारी जिसे सामान्य रूप से किसी भी पद पर नियुक्त किया जाता है, उसे अपनी नियुक्ति के कम से कम 3 से 4 साल की अवधि के पश्चात शांतिपूर्वक और बिना किसी असुरक्षा के अपने पद से जुड़े कर्तव्यों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए..... संतोषजनक सेवा शर्तों में कहा गया है कि इस मामले की तरह कई वर्षों के पश्चात दायर रिट याचिकाओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता की कोई भावना नहीं होगी। यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो उसे सौंपी गई वरिष्ठता से व्यथित महसूस

करता है, उसे जल्द से जल्द न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए अन्यथा सरकारी कर्मचारियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करने के अलावा, प्रशासनिक जटिलता और कठिनाइयाँ भी होंगी। इन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को कमियों के आधार पर खारिज कर दिया"।

22. मामले का फैसला करते समय, इस न्यायालय ने मैल्कम लॉरेंस सेसिल डिसूजा बनाम भारत संघ अन्य अन्य मामलों में अपने पहले के फैसले पर अवलम्ब किया। ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1269, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया था:

" हालाँकि सेवा की सुरक्षा का उपयोग किसी लोक सेवक की चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक सेवा में संतुष्टि और दक्षता की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक सुरक्षा की भावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके सभी विभिन्न पहलुओं में ऐसी सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल है, कम से कम यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि एक बार के लिए तय होने के पश्चात वरिष्ठता सूची में किसी की स्थिति जैसे मामले कई वर्षों के अंतराल के पश्चात फिर से खोले जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होने चाहिए। लंबे समय के पश्चात वरिष्ठता जैसे पुराने मामलों को उठाने से प्रशासनिक जटिलताओं और कठिनाइयों का सहारा लेने की संभावना है। इसलिए, यह सेवा की सहजता और दक्षता के हित में प्रतीत होता है कि इस तरह के मामलों को कुछ समय के पश्चात शांत किया जाना चाहिए।

23. बी. एस. बाजवा बनाम पंजाब राज्य अन्य अन्य ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1510 मे, इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए उसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा:

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सेवा मामलों में, उचित अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसी स्थितियों में वरिष्ठता का प्रश्न फिर से नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप तय स्थिति में गड़बड़ी होती है जो उचित नहीं है। वर्तमान मामले में इस तरह की शिकायत करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ ।यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप को अस्वीकार करने और रिट याचिका को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त था।

24. दयराम आसानंद बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 850 में इसी तरह के विचार को दोहराते हुए इस न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पूछताछ में 8-9 साल की अत्यधिक विलम्ब के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, अन्य कर्मचारी को सौंपी गई वरिष्ठता अन्य पदोन्नति की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में, कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य ने शिक्षकों की वरिष्ठता की स्थिति को बाधित किया है, वह भी किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना। वरिष्ठता प्रत्येक विश्वविद्यालय/राज्य कर्मचारी का एक वैधानिक अधिकार है। एक बार जब सक्षम प्राधिकारी एक वरिष्ठता सूची तैयार करता है और

उसे अंतिम रूप देता है, तो वह कार्यवाहक अधिकारी बन जाता है और इसलिए वह वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस तरह की वरिष्ठता सूची से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अपीलीय प्राधिकरण या न्यायिक मंच से संपर्क करना मात्र रह जाता है। वर्तमान मामले में, 2003 की वरिष्ठता सूची को प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा किसी भी उच्च प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, और प्राचार्य ने अपने दम पर वरिष्ठता सूची को संशोधित किया, जो अस्वीकार्य है।

11. संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के पास उक्त विश्वविद्यालय के पहले अधिनियम के अंतर्गत एच. एन. बी. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अपील दायर करने का उपाय है। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा ऐसी कोई अपील दायर नहीं गई थी। इस प्रकार, उक्त वरिष्ठता सूची अंतिम हो गई।

12. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 2003 में जारी विद्वानता सूची त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गलत मानदंड अपनाए गए थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि तदर्थ नियुक्ति के पश्चात एक शिक्षक के शामिल होने की तिथि को एक मानदंड के रूप में लिया गया था, जबकि अग्रेतरता की गणना मात्र मूल नियुक्ति के आदेश की तिथि से की जानी चाहिए, इसलिए, 2020 में अग्रेतरता सूची को संशोधित करने में कार्यवाहक प्राचार्य तदर्थ ठहराया गया था।

13. प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गलत मानदंड अपनाया गया था, तो जो कोई भी इस तरह की वरिष्ठता सूची से व्यथित महसूस करता था, उसके पास अपील दायर करने का उपाय था। वर्तमान मामले में, 2003 की वरिष्ठता सूची पर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कभी सवाल नहीं उठाया गया था। इस प्रकार, उक्त वरिष्ठता सूची अंतिम हो गई, और लगभग दो दशकों तक अस्तित्व में रही। इतनी लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता सूची को मात्र पीड़ित व्यक्ति के अभ्यावेदन पर संशोधित नहीं किया गया होगा। समीक्षा अधिनियम की रचना है और सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति में, कोई भी वैधानिक प्राधिकरण अपने निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है।

14. इस प्रकार, विवादित वरिष्ठता सूची को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, 10.08.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अपास्त दिया जाता है। दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है।

15. नतीजतन, दोनों याचिकाओं में सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

मनोज कुमार तिवारी, ए.सी.जे.।

विवेक भारती शर्मा, जे.

दिनांक:6 दिसंबर, 2023

नेगी